एम. ई. शिवलिंगमूर्ति

बनाम

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, बेंगलुरु

(2017 की आपराधिक अपील संख्या 957)

07 जनवरी, 2020

[संजय किशन कौल और के.एम. जोसेफ, जे.जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-धारा-227-आरोपमुक्त

एक साझेदारी फर्म ए.एम.सी" थी, प्रथम अभियुक्त और द्वितीय अभियुक्त 2009 में फर्म के भागीदार बने-अपीलार्थी को तृतीय अभियुक्त के रुप में प्रस्तुत किया गया था -आरोप-पत्र में पहले अभियुक्त और दूसरे अभियुक्त के बीच साजिश का संदर्भ थ -अपीलार्थी संबंधिति समय में राज्य में खान और भूविज्ञान का निदेशक था - यह आरोप लगाया गया था कि अपीलार्थी ने आपराधिक साजिश के अनुसरण में काम किया था और सरकार को धोखा देने के लिए एक बेईमान और धोखाधड़ी के इरादे से अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया था और जानबूझकर फाईल में एक गलत नोट बनाया था कि उसने फर्म के नए भागीदारों प्रथम को खनिज प्रेषण परमिट एम .डी.पी. जारी करने के संबंध में उपनिदेशक मामले पर चर्चा की थी। आरोप -पत्र में यह अभियोग लगाया गया था कि अभियुक्तगण सह तृतीय अभियुक्त का कृत्य धारा -120बी, 420, 379, 409, 447, 468, 471, 477 भा0द0वि0 और धारा- 13 (2), 13 (1) ग और 13 (1) का भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत वर्णित अपराध की परिधी में आता है। भ्रष्टाचार मामला , जो पूर्व मंजूरी के लिए राज्य सरकार के पास जाना चाहिए था , अपीलार्थी द्वारा खान निदेशक के रूप में निपटा गया -इससे एम.डी.पी. का मुददा उठा -यदि अपीलार्थी के बचाव पर ध्यान नही दिया जाना है , जिसमें आवेदन प्राप्त करने की प्रथा शामिल है। अतीत में जब भी फर्म का पुनर्गठन किया गया था और अपीलार्थी का संस्करण भी कि उसने वास्तव में उप निदेशक कानूनी के साथ बात की थी और उनकी सलाह पर कार्य किया था और आगे यह कि यह तथ्य होगा। आरोप युक्त करने हेतु धारा -227 द०प्र०स० के तहत आवेदन दाखिल किये-विचारण न्यायालय ने द्वितीय अभियुक्त का अपीलार्थी को आरोप मुक्त कर दिया - यह आदेश उच्च न्यायालय द्वारा अपील निरस्त कर दिया गया यह कहा गया कि

अभियोजन का वाद मुख्यतया उपनिदेशक की राय पर निर्भर करता है जिन्होने निश्चयात्मक रुप से कहा था कि अपीलकर्ता द्वारा उनकी राय नही ली गई। नियम 37 के अनुसार जो मामला राज्य के पास स्वीकृति हेतु जाना चाहिए था उसे अपीलकर्ता ने खान एवं भू -विज्ञान के निदेशक के रूप में निपटाया था। उसी से खनिज प्रेषण परमिट का मुददा पैदा हुई। यदि अपीलकर्ता के बचाव को नही देखा जाय , जिसमें फर्म के पुनर्गठन के पूर्व स्वीकृति लिया आवश्यक है एवं अपीलकर्ता के कथनानुसार थी कि उसने वास्तव में उपनिदेशक (विधि) से राय ली थी और उन्ही की राय से कार्य किया था और यह तथ्य तभी प्रमाणित होता जब उप निदेशक विधि से पूछताछ अपीलकर्ता की उपस्थिति में हो। परन्तु ये सभी तथ्य अपीलकर्ता को अपने धारा -227 द०प्र०स० के तहत दिए गए आवेदन को प्रचालित करने के समय अनुपलब्ध रहें होंगे। फलस्वरुप अपील खारिज की जाती है। (खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957

37 खनिज रियायत नियमावली, 1960

धारा- 227 द०प्र०स० 1973 के क्षेत्राधिकार की रुपरेखा -स्थापित सिद्वान्त यह है की अभियोजन के मौखिक और दस्तावेजी को बिना जिरह और पूछताछ के सभी को अभियोजन के पक्ष में अवधारणा करने पर ऐसा परिदृश्य उभर कर आये कि अभियुक्त के विरुद्व कोई आपराधिक मामला नही बनता है तब निसंदेह उसका लाभ अभियुक्त को मिलेगा और विचारण न्यायालय आरोप मुक्त कर सकेगा। अभियक्त द्वारा अपने बचाव में तथ्य प्रस्तुत करके न्यायालय को आरोप मुक्त करने के लिए राजी करने का अवसर प्राप्त नही होगा।

द०प्र०स० की धारा-227 - आरोप हुआ अभियुक्त द्वारा आरोपमुक्त करने की मॉग में बचाव-यह किया गया।

धारा- 227 द०प्र०स० 1973 में जब अभियुक्त आरोपमुक्त होने की माँग करता है तब उसके बचाव पर ध्यान नही दिया जाना चाहिए। (जम्मू एवं कश्मीर बनाम सुदर्शन चककर एवं अन्य)

द०प्र०स० की धारा-227- में प्रयुक्त अभिव्यक्ति" मामलें के अभिलेखा' से तात्पर्य "जो दस्तावेज और लेख, यदि कोई अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किया गया हो से है।— संहिता आरोपी को आरोप तय करने के चरण में कोई भी दस्तावेज पेश करने का कोई अधिकार नही देनी है- आरोप तय करने के चरण में आरोपी की प्रस्तुती पुलिस द्वारा प्रस्तुत की गई सामग्री तक ही सीमित रहेगी (उड़ीसा राज्य बनाम देवेन्द्रनाथ पा०)

अपील खारिज करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया।

1. धारा-227, द0प्र0स0 के तहत जब अभियुक्त आरोपमुक्त होने की मॉग करता है तो उसके बचाव पर ध्यान नही दिया जाना चाहिए (जम्मू एवं कश्मीर राज्य बनाम सुदर्शन चक्कर एवं अन्य)

द०प्र०स० की धारा-227 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति मामले के दस्तावेज का तात्पर्य ऐसे दस्तावेज या लेख जो अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गए हो , से है। संहिता आरोपी को आरोप तय करने के चरण में आरोपी की प्रस्तुती पुलिस द्वारा प्रस्तुत की गई सामग्री तक ही सीमित रहेगी (उड़ीसा राज्य बनाम देवेन्द्रनाथ पा०) पारा -15 1805 - डी.ई.

2. यही पर द 0प्र0स0 की धारा-227 के तहत अधिकार क्षेत्र की रुपरेखा को याद दिलाना पुन : आवश्यक हो जाता है। स्थापित सिद्वान्त यह है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई सामग्री , मौखिक और दस्तावेजी दोनो और उस पर जीरह और पूछताछ के बिना कार्यवाही की जाय और सब कुछ अभियोजन के पक्ष में जाना जाय और ऐसा परिदृश्य उभरे कि आरोपी के विरुद्ध कोई अपराध नही बनता है, जैसा कि आरोप लगाया गया है तब निसंदेह आरोपी को लाभ प्राप्त होगा कि विचारण न्यायालय आरोपी को आरोप मुक्त कर दे। (पारा- 257 [810-ए-बी]

3. अभियुक्त को यह अवसर नही होगा कि वह अपने बचाव की सामग्री के आधार पर अपने को आरोपमुक्त करने हेतु राजी करें। (पारा- 261 [810-c]

4. इस मामलें में , जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है कि अपीलार्थी के कार्यालय में कार्यरत अधीनस्थों के बयान को देखने से यह प्रतीत हुआ कि ए सम -सी के पूर्ववर्ती पक्षकारों द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 26.12.2009 पर दो अधीनस्थ अधिकारियों सहित उप निदेशक (विधि) ने अनुशंसित किया था कि मामलें में विधिक राय अपेक्षित है। टिप्पणी जो कि इस वाद में अविवादित है ' अपीलार्थी द्वारा जो टिप्पण किया गया है , वह अविवाहित है , देखने से प्रतीत होता है कि उसने उपनिदेशक विधि से बातचीत की थी अभियोजन का वाद मुख्यतया उपनिदेशक विधि के बयान पर आधारित है, जिनका एक निश्चित रुख है कि उनसे कोई राय नही ली गई। अभियोजन के अनुसार यह मामला नियम 37 के तहत सरकार के समक्ष स्वीकृति हेतु भेजा जाना चाहिए था जिसे अपीलार्थी ने स्वयं ही निदेशक खनिज के रुप में निपटा दिया था। उसी से एम .डी.पी. का मुददा हुआ। यह निःसन्देह सत्य है कि अपीलार्थी के विरुद्ध कोई अन्य सामग्री नही हो सकती है जो उसे अभियुक्त सं0-1 और अभियुक्त सं0-5 और अन्य अभियुक्तगण आरोपो से संबंधित कृत्यो एवं से जोड़

सके। हालांकि तथ्य रह जाती है, यदि अपीलार्थी के बचाव को ध्यान में नही रखा जाय, कि जब भी फर्म का पुनगर्ठन किया जायेगा तो पूर्व सहमति आवश्यक है और यह अपीलार्थी का भी कथन है कि उसने वास्तव में उपनिदेशक (विधि) से बात की थी और उनकी सलाह पर ही काम किया था और यह तथ्य तभी स्थापित होगा जब उपनिदेशक (विधि) से उनकी उपस्थिति में पूछताछ की जाय, मामले अपीलार्थी अपने धारा -227 द०प्र०स० के तहत आवेदन को प्रचालित करने के समय अनुपलब्ध में (पारा - 29 [810-F-H]; 811-A-B]

(रामकृष्ण माईनिंग कम्पनी बनाम आयकर आयुक्त मैसुर (1966)

एम.सी.सी ऑनलाईन कर्नाटक 73, जम्मू कश्मीर राज्य बनाम सुदर्शन चक्कर एवं अन्य AIR 1995 S.C. 1954; उड़िसा राज्य बनाम देवेन्द्र नाथ पार्थी AIR 2005 एस. सी. 359 का हवाला दिया गया।

पी. विजयन बनाम केरला राज्य एवं अन्य (2010) 2 SCC 398- भरोसा किया गया।

(निदर्शन वाद संदर्भ) (2010) 2 SCC 398 भरोसा- पारा-14

AIR 1995 SCC भरोसा- पारा-15

AIR 2005 SCC 359 भरोसा- पारा -15

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः- आपराधिक अपील सं0-957 of 2017

(2016 की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका सं 0-838 में बेंगलूरु स्थित कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 07.11.2016 से)

कपिल सिब्बल , वरीय अधिवक्ता , एस उदय कुमार सागर , मिस वीणा माधवन , एल.एम. चिददनदैयया, मिस आकांक्षा मेहरा, मिस वसुधा सिंह, मेसर्स लायर एस निट एण्ड कम्पनी , अक्षय अमृतांशु, शेखर व्यास, अरविन्द कुमार शर्मा , मिस नित्या राव , मुकेश कुमार मरोडिया , परमात्मा सिंह, मयंक जैन , मधुर जैन , मिस आकृति धवन , मिस निशठा सिंह , पक्षकारों की ओर से । न्यायालय में निर्णय सुनाया गया। के.एम.जोसेफ, जज

1) यह अपील उच्च न्यायालय के उस फेसले के विरुद्व दाखिल की गई है जिसमें उसने मजिस्ट्रेट के आदेश को निरस्त कर दिया था जिसके द्वारा अपीलार्थी के आरोप मुक्ति के आवेदन को स्वीकृत किया गया था।

2. दिनांक 01.10.2011 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के आधार पर आरोप पत्र दायर की गई थी। अपीलकर्ता प्रासंगिक समय में कर्नाटक राज्य में खान एवं भू -विज्ञान निदेशक थे। एक भागीदारी फर्म, मेसर्स एसोसिएटेड मिनरल कम्पनी (संक्षेप में एएमसी) के नाम से थी । आरोपित अपराध इसी फर्म के कार्याकलापों के इर्द -गिर्द घुमता है। प्रथम अभियुक्त , दूसरे अभियुक्त का पति है। वे 2009 में फर्म (एएमसी) के भागीदार बनें। अपीलकर्ता को तीसरे अभियुक्त के रुप में प्रस्तुत किया गया है। आरोप पत्र में प्रथम अभियुक्त एवं दूसरे अभियुक्त के बीच साजिश का जिक्र था। यह आरोपित किया गया-निम्नवतः-

की उन लोगो ने एक अदिनांकित पत्र पूर्व के भागीदार श्री केएम विश्वनाथ , अवकाशप्राप्त, लागू दिनांक 01.08.2009 से प्राप्त किया गया था , जो अपीलार्थी को संबोधित था , उसमें उप निदेशक खान और भू-विज्ञान, हासपेड कर्नाटक को खनिज प्रेषण परमिट नए भागीदारों , प्रथम एवं द्वितीय अभियुक्त को प्रदान करने हेतु निर्देश देने की मॉग की गई। यह आगे कहा गया है कि अनुसंधान से पता चला है कि अपीलकर्ता ने उस पत्र को केस वर्कर को चिन्हित किया था। जिसने मामले को कानूनी राय हेतु संदर्भित करने हेतु आदेश देने के लिए टिप्पणी की थी , जिसे अतिरिक्त निदेशक द्वारा अनुमोदित और अनुशंसित किया गया था , उसे अपीलार्थी के समक्ष आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया। अपीलकर्ता पर आरोप है कि उसने आपराधिक साजिश के तहत कार्य किया और जान-बूझकर कपटपूर्वक कर्नाटक राज्य को धोखा देने के उदेश्य से नियम 37 (खान व खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957) (अब से संक्षेप में अधिनियम) का उल्लंघन करते हुए पत्रावली में गलत टिप्पणी की थी कि उन्होनें इस मामलें को उप निदेशक, खान व खनिज (विधि) से चर्चा की है इससे कि एएमसी के नए भागीदारों , प्रथम एवं द्वितीय अभियुक्त को एमडीपी प्राप्त हो सके । अन्य अभियुक्त के विरुद्ध अन्य बहुत से आरोप है। जहॉ तक कि अपीलकर्ता का प्रश्न है आरोप -पत्र में यह आरोप लगाया गया है कि सातों अभियुक्तों सह तृतीय अभियुक्त (अपीलार्थी) का कृत्य धारा-120बी, 420, 379, 409, 447, 468, 471, 477ए भा0दं०संहिता, 1860 (अब से इसे भा 0द0वि० से संबोधित किया जाएगा।), धारा-13 (2) और 13 (1) सी) और 13 (1) डी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, की श्रेणी में आता है। निसंदेह इस अनवेष्ण की उत्पति इस न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश से की जा सकती है जो कि विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) सं0-7366-7367/2010 दिनांक 29.03.2011 और संबंधित मामला जिसमें ए .एम. सी. के खनन पट्टा सं 0-2434 की अवैधताओं की जॉच का आदेश दिया गया था। सभी आरोपों में यह भी आरोप शामिल था कि

अभियुक्त ने सरकारी संपति यानि खनिज अयस्क की चोरी की थी। उन्होने कथित तौर पर बेलारी जिले के वन्य क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों का अतिक्रमण किया और अवैध खनन करके उसका परिवहन किया। हालांकि अभियुक्तगण सं0-2 से 7 तक ने धारा-227 दण्ड प्रक्रिया संहिता (इसके बाद संक्षेप में द०प्र०स० से संदर्भित) के तहत आरोप मुक्त करने की मॉग की थी, विचारण न्यायालय में अपने आदेश दिनांक 08.10.2015 के द्वारा इन अभियुक्तगण को एवं अपीलार्थी को आरोप मुक्त कर दिया था, जिसे उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश से रद्द कर दिया है।

अपीलार्थी द्वारा स्वयं को आरोप मुक्त करने हेतु दिया गया आवेदन

इसे इस प्रकार कहा गया है :-अपीलार्थी के लोक सेवक के रुप में अपनी ईमानदारी एवं गरिमा के लिए जाने जाते है। वे जहाँ भी तैनात रहे उन सभी स्थानों पर उन्होने एक उत्कृष्ट एवं ईमानदार अधिकारी के रुप में अपना नाम कमाया। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते के समय उनके विरुद्व एक भी आरोप पत्र जारी नही किया गया है। यद्यपि उन्होनें कर्नाटक राज्य सिविल सेवा के रुप में अपने सेवा के शुरुआत की थी , परन्तु एक त्रुटिहीन सेवा रिकार्ड होने के कारण उन्हें भारतीय प्रशानिक सेवा (भा०प्र०से०) के कॉडर में पदोन्नति किया गया। उनके सेवा अभिलेख को देखते हुए उनकी पदस्थापना, निदेशक, भू-विज्ञान एवं खान के पद पर की गई। अधिनियम की धारा -26 (2) के अनुसार जो कि एक प्रत्योजन अधिकार है पट्टा अभिलेख का निष्पादन निदेशक , खान एवं भू-विज्ञान के पास ही रहता है। ए.एम.सी. को राज्य द्वारा वर्ष 1966 में खनन पट्टा प्रदान किया गया था। फर्म का पुर्नगठन कई बार किया गया था जिसमें पुराने भागीदारों को सेवानिवृत कर नए भागीदारों को शामिल किया गया है। जब भी फर्म का पुर्नगठन होता है तो इसकी सूचना भू -विज्ञान विभाग को देनी होती है और नए शामिल भागीदार ए .एम.सी. के नाम पर खनन कार्य सम्पादित करते है। हालांकि कई पुनर्गठन हुए लेकिन नियम -37 (रुल्स) के अंतर्गत कोई भी आवेदन दायर नही किया गया कि संपति , अर्थात खनन पट्टा फर्म का है ना कि किसी व्यक्तिगत भागीदार। अदालत के समक्ष अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेख से प्रतीत होता है कि विभाग में समझ लिया है कि पुनर्गठन में स्थानांतरण नही हुआ है क्योंकि फर्म ही संपति यानि (खनन पटटा) की मालिक है। प्रथम एवं द्वितीय अभियुक्त के शामिल होने पर पुर्नगठित फर्म में उप निदेशक को आवेदन देकर एमडीपी की मॉग की थी और बताया था कि दो भागीदार शामिल किए गए है। आवेदन को निदेशक के पास एमडीपी जारी करने हेतु भेजा गया। आवेदन जो कि उप निदेशक को एमडीपी की माँग करने हेतु दिया गया था के इतर एक आवेदन श्री के .एम. विश्वनाथ, फर्म के पूर्व भागीदार में फर्म का प्रतिनिधित्व करते हुए निदेशक को दिया था कि फर्म का पुर्नगठन भागीदार प्रथम एवं द्वितीय अभियुक्त को शामिल करके किया गया है और नियम-62 के तद्नुसार सूचित किया गया है। यह पुनः कहा जा रहा है कि विभाग द्वारा आवेदन प्राप्ति के पश्चात पत्रावली को खनन पट्टा अनुभाग में संसाधित करना होगा। खान एवं भू -विभाग द्वारा आवेदन पर विचार करते समय एक विस्तृत प्रक्रिया का पालन किया गया। अनुभाग अधिकारी प्रारंभ में पत्रावली की जॉच करते है।

आवेदन पर एक विस्तृत टिप्पणी तैयार की जाती है। पत्रावली को नोटशीट के साथ अधीक्षक, खनन पट्टा अनुभाग को भेजी जाती है जो कि एक वरिष्ठ अधिकारी होता है जो नोटशीट की जॉच करता है एवं उसे उप निदेशक के समक्ष प्रस्तुत करता है , अतिरिक्त निदेशक, जो कि विभाग में वरिष्ठ विभागीय अधिकारी है, फाईल की जॉच करता है एवं उसे निदेशक के समक्ष रखता है। जो कानून लागू होता है, उस पर विचार करके उसे निदेशक के समक्ष रखता है वह जो भी कानून लागू होगा उस पर विचार करके एक आदेश पारित करता है। यदि वह उसके क्षेत्राधिकार में रहता है तो वह आवेदन का निपटारा कर देता है यदि कोई आदेश राज्य सरकार से प्राप्त करना आवश्यक होता है तो संदर्भित टिप्पणीया करके उसे भेज देता है। निदेशक अधिनियम की धारा -26 (2), जो कि एक प्रत्योजित अधिकार है, लीज डीड पर हस्ताक्षर करता है।

4. अपीलार्थी ने पाया कि फर्म का गठन वर्ष - 1966 में श्री जली महादेव अप्पा एवं श्री जली मल्लिकार्जुन द्वारा किया गया था एवं पट्टा को एएमसी के नाम पर लिया गया जो कि एक भागीदारी फर्म भागीदारी अधिनियम के तहत पंजीकृत थी। अभिलेख के अनुसार पट्टा फर्म की संपति है । भागीदारी फर्म यानि एएमसी, का पुनर्गठन 30.06.1983 को श्री एललिगा राजू को फर्म के एक भागीदार के रुप में शामिल करके श्री जे मल्लिकार्जुन के अवकाश प्राप्ति के पश्चात किया गया था। 13.02.1984 को पुनः फर्म को पुनर्गठित किया गया जिसमें श्री जेलिंगा राजू के अवकाश प्राति के पश्चात श्री बी.आनंदा को एक भागीदार के रुप में शामिल किया गया है। 13.02.1982 को श्री जे. वामा देववप्पा के फर्म से अवकाश प्राप्ति के पश्चात श्रीमति बी . बसन्ती ने फर्म में शामिल है। श्री बी. वासुदेव फर्म में एक भागीदार के रुप में शामिल हुए एवं श्रीमती बी बसन्ती ने फर्म से अवकाश प्राप्त किया। भागेदारी विलेख दिनांक 10.06.1990 के द्वारा श्री मो० कासिम फर्म में शामिल हुए एवं श्री बी .आनन्दा फर्म से अवकाश प्राप्त किया । पुनः श्रीमती आशा मो० फारुल ने श्री बी . वासुदेव के अवकाश प्राप्ति के पश्चात भागीदार के रुप में फर्म में शामिल हुआ। पुनः ए .एम.सी. का पुर्नगठन हुआ। जिसमें श्री के.एम. प्रभु एवं श्रीमति पारवाथम्मा को शामिल किया गया। पुनः फर्म का पुनर्गठन किया गया जिसमें श्रीमति सुजाता प्रभु एवं श्री केएम सुजान को भागीदार के रुप में शामिल किया गया। अन्त में 01.02.2009 को प्रथम अभियुक्त एवं द्वितीय अभियुक्त को भागीदार के रुप में शामिल किया गया। 1981 से कई बार इस तरह फर्म का पुनर्गठन हुआ और नियम के नियम-37 के तहत कोई भी आवेदन राज्य सरकार के समक्ष नही दाखिल किया गया है। भागीदारो द्वारा फर्म के पुनर्गठन की सूचना प्रपत्र - V में निबंधक, फर्म के समक्ष दिया गया था। जब भी पुनर्गठन हुआ तो कोई भी आवेदन नियम के 37 के तहत नही दिया गया कि फर्म खनिज पट्टा की मालिक है। नियम के नियम -62 के तहत केवल सूचना दी गई थी। केस वर्कर सीडब्लू 24 ने विधिक राय प्राप्त करने हेतु अपनी राय दी थी, जो कि नोटशीट के साथ दी गई थी। ऐसा कोई नोट प्रस्तुत नही किया गया जिसमें धारा-37 के लागू होने की राय संबंधित है। यदि ऐसी कोई राय रही होती कि ऐसा नियम लागू होता है तो अपीलार्थी यथोचित निर्णय लेगा। जो नजीर उपलब्ध थे उस पर भरोसा किया गया। जो निर्णय लिया गया वह एक सद्भावनापूर्ण निर्णय था। उप निदेशक की राय जो विधिक राय लेने के संबंध में थी वह एक नोटशीट है एवं कोर्ट के समक्ष उसे प्रदर्श-डी 765

के रुप में प्रस्तुत किया गया। पत्रावली की जॉच के दौरान अपीलार्थी के संज्ञान में आया कि धारा - 37 लागू नही होता है। इसकी संसूचना उप निदेशक , हास्पेड को दी गई कि ए .एम.सी. को परमिट जारी किया जाय, परन्तु भागीदारो के नाम पर नही। अपीलार्थी ने आगे कहा है कि पत्रावली के प्राप्त होने के बाद उन्होनें उप निदेशक (विधि) से दूरभाष पर संपर्क किया, जिन्होने सूचना दिया कि नये भागीदारों के शामिल होने के पश्चात फर्म का पुनर्गठन हो चुका है और कम्पनी के नाम से परमिट जारी किया जा सकता है न कि भागीदारों के नाम , जिसे उप निदेशक (विधि) में बाद में इन्कार कर दिया। इन्होनें अधिनियम की धारा -27 के समर्थन की मॉग किया जो कि अधिनियम के तहत सद्भावनापूर्ण किए गए कार्यो को संरक्षित करता है। उन्होनें बताया कि जॉच के दौरान उन्होने विभिन्न फर्मो का विवरण दिया। जिनके पास सरकार के साथ पट्टे है और उन्होनें नियम - 37 के तहत कोई स्वीकृति नही प्राप्त किया। नियम -62 के तहत पुनर्गठन की सूचना देकर एमडीपी प्राप्त करने की प्रक्रिया लगातार अपनाई जा रही है। यह तर्क दिया गया कि सदभावपूर्ण प्रशासनिक निर्णय की धारा नियम-37 को समझते हुए जो कि पूर्व की नजीर पर आधारित था , को धोखाधड़ी नही मानना चाहिए। अपीलकर्ता के अनुसार आरोप पत्र एवं आरोपो को पढ़कर अपराध मुख्यतया धारा-420 भा0द0वि० के इर्द-गिर्द घुमता है।

5. आरोप के समर्थन में अभियोजन पक्ष द्वारा सीडब्लू -7, सीडब्लू-21, सीडब्लू -24, सीडब्लू- 202, सीडब्लू -109 के बयान सूचीबद्ध किए गए है। अपीलकर्ता ने दिखाया है कि गवाहो के बयान और दस्तावेजो से यह परिलक्षित होगा कि अपीलार्थी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया ऐसी कोई सामग्री नही है जिससे उसके विरुद्ध आरोप का गठन किया जाय ।

<u>मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश</u>

6. न्यायालय ने अपीलार्थी के इस दलील पर गौर किया कि एएमसी का पुनर्गठन कई बार किया गया है। पुनर्गठन के स्वीकार करने में कोई भी त्रुटि नही पाई गई। केवल जब प्रथम एवं द्वितीय अभियुक्त 2009 में जब भागीदार बने तब अपीलार्थी का दोष पाया गया। श्री रामकृष्ण माईनिंग कम्पनी बनाम इनकम टैक्स कमीश्नर, मैसूर में डिवीजन बेंच के फेसले पर भरोसा किया जा रहा है। उसके बाद इंडियन स्टेट एक्ट 1899 पर भरोसा किया जा रहा है जिसमें यह उल्लेखित है कि फर्म के भागीदार के अवकाश प्राप्ति पर जो फर्म के संपतियो का वितरण होगा वह हस्तानान्तरण की परिधी में नही आएगा। धारा -227 और 228 जो आरोप मुक्ति के सिद्वांत है उस पर चर्चा की गई और अन्ततः यह प्रतिपादित किया गया। -

"41. उपरोक्त उधरणो को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट है कि ए -3 का कार्य, जिससे उन्होने अपने

मातहतों को मेसर्स एसोसिएटेड मायनिंग कम्पनी , जो कि अभियुक्त सं 0-1 एवं 2 की है, एमओपी जारी करने का निर्देश दिया था वह आपराधिक दायित्व तय करने के लिए पर्याप्त नही है। सीडब्लूएस-7, 21, 24, 26, 109 एवं 202 के बयानो से निश्चित रुप से कोई भी ऐसी सामग्री नही है जिससे यह परिलक्षित हो कि ए -3 में आपराधिक साजिश के तहत अपने मातहतो को अभियुक्त सं0-1 और 2 को लाभ पहुँचाने के लिए एमडीपी जारी करने के लिए निर्देशित किया था और इस तरह से अभियुक्त सं 0-3 के विद्वान अधिवक्ता के बहस में पर्याप्त बल पाता हूँ एवं विशेष लोक अभियोजक की गई बहस को स्वीकार नही करता। इस प्रकार , आईए सं0-30 स्वीकार करने योग्य है। मैं उत्तर देता हूँ।

<u>उच्च न्यायालय के निष्कर्ष</u>

7. प्रतिद्वंदी दलीलों पर गौर करने के बाद अदालत ने यह नोट किया है कि धारा-120बी भा0द0वि0 के तहत दंडित करने के लिए अभियोजन पक्ष को साजिश साबित करना आवश्यक है। समझौता जो अवैध है उसे आवश्यक निहतार्थ द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। यह काफी हद तक साजिशकर्ताओ के द्वारा किए गए अवैध कृत्यों यह चूको के अनुमान से सिद्ध किया जाना है। जो अभियोगात्मक साक्ष्य अभियोजन ने एकत्र किया है उसे गौर किया गया है कि अपीलार्थी ने जो एमडीपी जारी किया वह अधिनियम का उल्लंघन था इसके बावजूद कि कार्यालय में यह टिप्पणी की थी इस मामलें में विधिक राय अपेक्षित है। अपीलार्थी ने इस तर्क को कि उसने इस मामले को विधि विभाग से विचार विमर्श किया था , को सीडब्लू- 21 में नकार दिया। उनके अनुसार कई बार एएमसी का पुनर्गठन हुआ और एमडीपी जारी करने के निर्देश के पूर्व उसने वास्तव में इस मामलें को सीडब्लू-21 के साथ विचार -विमर्श किया था , इसे बचाव का मामला पाया जाता है जिसे इस स्तर पर प्रचालित नही किया जा सकता।

8. हम निम्नलिखित निष्कर्षो पर ध्यान देते है:-

"12. (कुछ/ मात्र संदेह-गंभीर संदेह : जैसा कि दिलावर बालू कुराने के मामले में (सुप्रा) (एवं भारत संघ बना प्रफुल्ल कुमार समई एवं अन्य अभियुक्त , ए.आई.आर. 1979 एस.सी. 366 के सूत्र को अपनाते हुए, यदि विपक्षी के विरुद्ध सभी साक्ष्यिक सामग्री को न्यायालय के समक्ष रखा जाय तब भी सूई गंभीर संदेह की तरफ जाती है। इस मामलें में जो विषय वस्तु है वह देश की प्राकृतिक संपदा है और आरोपित अपराध में यह अभियोग है कि राज्य को महती क्षति कारित की गई है। विपक्षी राज्य के एक जिम्मेदार अधिकारी है और जान -बूझकर उन्होनें वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए आदेश पारित किया है।

13. विद्वान विचारण जज में आक्षेपित आदेश में एक सर्वव्यापी टिप्पणी की है कि उनकी कार्यवाही कोई आपराधिक दायित्व तय नही होता है एवं गवाहो के बयान से ऐसा परिलक्षित नही होता है कि उन्होने कोई आपराधिक साजिश रची है । यद्यपि कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नही था परन्तु विद्वान विचारण न्यायाधीश ने जो अभियोजन द्वारा जो परिस्थतिजन्य साक्ष्य में उपलब्ध अभियोगात्मक सामग्री प्रस्तुत किया था उसको नजरअंदाज किया। विचारण न्यायालय में जो सबूतो को छांटने और तौलने की सीमित शक्ति निहित होती है उसका विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अपने आक्षेपित आदेश से उल्लंघन किया है। इसलिए इस पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

9. तद्नुसार अपीलकर्ता को आरोप मुक्त करने के सत्य न्यायाधीश के आदेश को रद्द करते हुए याचिका स्वीकार की जाती है।

10. हमने अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री कपिल सिब्बल को हमने विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को भी सुना।

11. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता कपिल सिब्बल इस प्रकार कहते है :- पट्टा मूल रुप से वर्ष 1966 में एएमसी के पक्ष में था। उसके बाद कई बार फर्म का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन के संबंध में नियमावली के नियम -62 के तहत विभाग को सूचना दिए जाने के संबंध में प्रक्रिया अपनाई गई। नियम के नियम - 37 का पालन नही किया गया। यह एक ऐसा मामला है जहॉ अपीलकर्ता की कार्यवाही प्रमाणिक थी। वह पुनः कहते है कि कार्यवाही में नियम -37 लागू होता है, यह वैसा मामला नही है जिसके लिए अपीलार्थी को आपराध के लिए मोकदमा चलाया जाय। अपीलार्थी ने विहित प्रथा के अनुसार कार्य किया है। उसने उप निदेशक विधि से संपर्क किया था।

12. यह भी अपीलार्थी का मामला है कि उसने फर्म के नाम पर एमडीपी जारी करने के लिए निर्देश दिया था। उसने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि भागीदारो को परमिट जारी नही होगा। कोई अन्य सामग्री अभिलेख पर नही है जिसे अभियोजन में प्रस्तुत किया है। यह ऐसा मामला नही है जिसमें इस सामग्री के आधार पर आपराधिक साजिश तय की जाय ।

13. इसके विपरीत, विपक्षी- सीबीआई, बेंगलूरु ने आदेश का समर्थन किया और आरोप -पत्र साक्षी सीडब्लू-21 के विशिष्ट रुख पर भरोसा किया है कि अपीलार्थी ने उससे विधिक राय नही ली थी जो

कि अपीलार्थी के तर्क के विपरीत है।

<u>आरोपमुक्त करने की मांग वाले आवेदन के संबंध में लागू होने वाले कानूनी सिद्धान्त</u>

14. यह एक ऐसा क्षेत्र है जो निदर्शक वाद के बहुत बड़े निकाय से आच्छादित होता है। हम एक हालिया फेसले का हवाला देते है जिसे पहले के फेसलो जैसे पी . विजयन बनाम स्टेट आफ केरला एवं अन्य का उल्लेख किया गया है और निर्मनलिखित सिद्वांत प्रतिपादित हुआ है:-

I. यदि दो दृष्टिकोण संभव है और उसमें से एक केवल गंभीर संदेह से अलग संदेह को जन्म देता है तो विचारण न्यायालय को आरोपी को आरोप मुक्त करने का अधिकार होगा ।

II. विचारण न्यायालय महज एक डाकघर नही है जो अभियोजन के कहने पर आरोप तय करें ।

III. न्यायाधीश को केवल यह पता लगाने के लिए साक्ष्यो की जॉच करनी है कि आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है या नही । साक्ष्य में , पुलिस द्वारा दर्ज किए गए बयान और दस्तावेज जो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए है, शामिल होगा।

IV. यदि साक्ष्य, जिसे अभियोजक अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए केस करने का प्रस्ताव करता है, भले ही इसे जिरह में चुनौती दिए जाने से पहले पूरी तरह स्वीकार कर लिया गया हो या बचाव साक्ष्य द्वारा खंडित किया गया हो, यदि कोई हो," और जो यह न दिखा सके कि अभियुक्त ने कोई आपराध किया है तो मोकदमे को आगे बढ़ाने के लिए कोई पर्याप्त आधार नही है।

V. यह अभियुक्त को स्वीकृत होगा कि वह ऐसी सामग्री का स्पष्टीकरण दे सकें जो घोर संदेह पैदा करता हो ।

VI. अदालत की व्यापक संभावनाओं , अदालत के समक्ष पेश किए गए सबूतो और दस्तावेजो के कुल प्रभाव, मामलें में दिखाई देने वाली कोई भी बुनियादी कमजोरिया आदि पर विचार करना होगा। हालांकि यह अदालत को पक्ष-विपक्ष की गहन जॉच करने का अधिकार नही देंगा ।

VI. आरोप तय करने के समय जो भी सामग्री अभिलेख पर उपलब्ध है उसका न्यायालय को संभावित मान पर गौर करने का अधिकार नही होगा एवं अभियोजन द्वारा अभिलेख पर लाई गई सामग्री को सत्य के रुप में स्वीकार करना होगा ।

VII. मजबूत संदेह पर विचार करने के लिए कुछ सामग्रियाँ मौजूद होनी चाहिए जो आरोप तय करने एवं अभियुक्त को आरोप मुक्त करने को अस्वीकार करने का आधार हो ।

15. धारा-227, द०प्र०स० के तहत जब अभियुक्त आरोपमुक्त होने की मॉग करता है तो उसके बचाव पर ध्यान नही दिया जाना चाहिए (जम्मू एवं कश्मीर राज्य बनाम सुदर्शन चककर एवं अन्य)

द०प्र०स० की धारा-227 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति मामले के दस्तावेज का तात्पर्य ऐसे दस्तावेज या लेख जो अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गए हो , से है। संहिता आरोपी को आरोप तय करने के चरण में आरोपी की प्रस्तुती पुलिस द्वारा प्रस्तुत की गई सामग्री तक ही सीमित रहेगी (उड़ीसा राज्य बनाम देवेन्द्रनाथ पा०) पारा -151805 - डी.ई.

मामले का विश्लेषण:-

जैसा कि उपर कहा गया है , कानूनी सिद्वांत निर्धारित करने के बाद , आइए तथ्यों का विचार करें :- निसंदेह अपीलार्थी को कर्नाटक राज्य की अधिसूचना दिनांक 09.06.2008 के द्वारा निदेशक , खान एवं भू-विज्ञान के पद पर पदस्थापित किया गया। वह 25.10.2010 तक उक्त पद पर बने रहें। खनिज पट्टा सं 0-625 को दिनांक 02.03.1966 राज्यपाल एवं पंजीकृत फर्म एएमसी के बीच निष्पादित हुआ। मैनेजिंग भागीदार एक श्री जल्ली महादेवअप्पा थे। एएमसी के भागीदार यानि श्री केएम पार्वतमा एवं श्री के.एम. विश्वनाथ ने एक लेटर दिनांक 26.12. 2009 प्रेषित किया जिसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:-

सेवा में,

निदेशक

खान एवं भू–विज्ञान

खनिज भवन रेस कोर्स रोड बैंगलोर ।

विषय:- एसोसिएटेड माईनिंग कम्पनी एमएल सं 0-2434- पंजी- के संविधान में बदलाव के संबंध में ।

महोदय,

हम अधोहस्ताक्षरी एसोसिएटेड माईनिंग कम्पनी , गुरु आयरन कोर माईन्स , वेंकटगिरी गाव, संदूर तालुक, जिला-बेल्लारी एमएल सं0-2434 (पुराना 625) के पट्टा मालिक है। बेहतर प्रबंधन के लिए हमने 31.07.2009 को मिस्टर जी जनार्द्वन रेडडी एवं एमआरएस जी लक्ष्मी अरुणा, 123/350 बीरा बगौरा कॉलोनी , अपोजिट कुमार स्वामी टेम्पल क्लब रोड , बेल्लारी को भागीदार के रुप में शामिल करते है। बाद में 01.08.2009 को श्रीमति केएम पार्वतमा और मिस्टर के .एम. विश्वनाथ अवकाश प्राप्त कर लिए है।

3. मिस्टर जी जनार्द्वन रेड्डी एवं जी लक्ष्मी अरुणा खाधान्न के एकमात्र भागीदार है। प्रवेश एवं सेवानिवृति विलेख आपके अवलोकनार्थ संलग्न है। यह आपकी जानकारी के लिए है।

4. कृपया अयस्क को खाधान्नो से विभिन्न गंत्वयो तक परिवहन करने की अनुमति जारी करें।

धन्यवाद सादर ।

एसडी/-

श्रीमति के. पार्वतम्मा

एसडी/-

मिस्टर के.एम. विश्वनाथ

17. भूमिका जिसका अपीलकर्ता को श्रेय दिया गया है कि अनिवार्य रुप से इस पत्र से शुरु होती है। यह अभियोजन पक्ष का मामला है जिसके संबंध में नियमो के नियम -37 के अनुसार फर्म के पुनर्गठन पर कार्यवाही करने से पहले राज्य सरकार से पूर्व मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य था। आरोप - पत्रित साक्षी सीडब्लू24 डी हनुमंथा, निस्संदेह बयान दिया है जो इंगित करता है कि उस पत्र को उसके पास कार्यवाही करने के लिए भेजा गया था। उसने कहा है कि उसने यह प्रस्तावित किया था कि इस मामले पर विधिक राय प्राप्त की जाय । अन्त में इसे अतिरिक्त निदेशक के पास भेजा गया। अतिरिक्त निदेशक ने भी विधिक राय लेने हेतु अनुशंसित किया था। मामला अपीलार्थी के पास 04.01.2010 को आया। 04.01.2010 को, यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी ने आदेश किया:

"...उपनिदेशक विधि से बात की गई , कम्पनी वही बनी हुई है जब कि साझेदारण को शामिल या निकाला जा सकता है और इसके लिए उन्हे ला बोर्ड ने संपर्क करना पडेगा। वर्तमान मामलें में साझेदार अपने नाम से एमडीपी की मॉग नही करते है जब कि कम्पनी के नाम से करते है। परमिट केवल कम्पनी के नाम से जारी हो सकता है यानि एएमसी जहॉ पर उसी कम्पनी के पक्ष में पट्टा भी स्वीकृत हुआ है। साझेदार बदल गए है , परन्तु आप साझेदारो को एमडीपी नही दे रहे है। इस तरह उपनिदेशक हास्पेड को सूचित करे कि कम्पनी के नाम से एमडीपी जारी करें ।" ३

18. अतिरिक्त निदेशक ने भी इसी तरह की बात कही है।

19. अभियोजन पक्ष का मामला , जो कि उच्च न्यायालय में अपील किया गया मूलतः इस तथ्य पर आधारित है कि एक ओर अपीलकर्ता ने अपने आदेश दिनांक 04.01.2010 (ड्राफट) में जिसे दिनांक 05.01.2020 को अंतिम रुप दिया गया, ने उप निदेशक, (विधि) से विधिक राय प्राप्त करने हेतु बात की थी, उप निदेशक, (विधि) ने रुख अपनाया है कि उसने ऐसी कोई भी राय नही दी है। उप निदेशक, (विधि) का बयान अपीलार्थी ने 2009 की आपराधिक विविध याचिका सं 0-122009 के साथ प्रस्तुत किया है। उन्होनें इस प्रकार कहा है:-

" हालांकि, इस संबंध में मुझसे कोई राय नही मांगी गई। उन्होने आगे कहा है कि चूँकि पत्र दिनांक 26.12.2009 की सामग्री से पता चलता है कि संपूर्ण पटटा अधिकार प्रथम एवं द्वितीय अभियुक्त को हस्तांतरित कर दिया गया था , जो कि नियम - 37 के प्रावधानो के विपरीत है। हालांकि नियम -37 के प्रावधानो की अनदेखी करते हुए , उप निदेशक को कम्पनी के नाम एमडीपीएस जारी करने का निर्देश जारी किया गया था। हालांकि उन्होने आगे कहा है कि एएमसी एक फर्म है , कम्पनी नही। उन्होने आगे कहा है कि यदि पटटेदारो के अधिकारो में कोई बदलाव

नही होता है तो पटटे के अधिकार पर किसी और को अधिकार मिल जाता है , उक्त कार्य नियम - 37 के प्रावधानो को आकर्षित करेगा। उन्होने यह भी कहा है कि यद्यपि की एक आवेदन इस आशय का दिनांक 29.07.1994 को दिया गया था कि खनिज पटटा की अवधि दिनांक 01.03.1996 को समाप्त हो रही है , पटटे की अवधि को 2000 से 2010 तक मंत्री द्वारा नवीकरण कर दिया गया था क्योंकि वन विभाग ने अपनी स्वीकृति दे दी थी। उन्होनें कहा है कि पटटे का नवीकरण 02.03.1996 के प्रभाव से दस वर्षो तक किया जाना चाहिए था।

20. नियम, जो कि वर्ष 1960 में बना था, के नियम - 37 पर गौर करना आवश्यक है। नियम - 37 इस प्रकार से है:-

37. पटटे का हस्तांतरण:- (I) पटटेदार, राज्य सरकार की लिखित पूर्व सहमति के बिना एवं भाग-ए और भाग-बी, अधिनियम की अनुसूची-1 में निर्दिष्ट किसी भी खनिज के संबंध में केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना

(ए) खनन पटटे, या उसमें किसी भी अधिकार, स्वामीत्व या हित को सौंपना, उप किराये पर देना, गिरवी रखना या किसी अन्य तरीके से हस्तांतरित करना या

(ब) किसी भी सदाशय की गई व्यवस्था , अनुबंध या समझ -बूझ जहाँ पर पटटेदार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से काफी हद तक वित्त पोषित करता हो या जिसके तहत पटेदार के संचालन या उपक्रमों को किसी व्यक्ति या व्यक्तियो के निकाय से नियंत्रित होता हो , किया जा सकता है। (बल दिया गया)

21. विचारण न्यायालय में श्री रामकृष्ण माईनिंग कम्पनी (सुप्रा) ने मैसूर न्यायालय के डिवीजन बेंच के फेसले पर भरोसा किया है। वास्तव में उक्त मामलें में न्यायालय ने 1949 के खनिज रियायत नियमों के नियम-37 पर विचार किया है जो इस प्रकार है:-

37. पटटे का हस्तांतरण :- पटटेदार राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से और नियम -35 के पहले परन्तुक और नियम-38 में निर्दिष्ट शर्तो के अधीन, अपने पटटे या उसमें स्थित किसी भी अधिकार, शीर्षक या हित को किसी व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है , जिसनें सौ रुपया शुल्क भुगतान करके राज्य से प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया है। (बल दिया गया)

22. यह स्पष्ट है कि प्रावधान 1960 के पूर्व का प्राप्त किया गया है जब नियम बनाए गए अलग है।

23. उपरोक्त मामलें में आयकर अधिनियम 1962 की धारा -66 के प्रश्न को निर्णित करने हेतु संदर्भित किया गया था। निर्णय हेतु आने वाले प्रश्नों में एक यह भी था कि पटटे के हस्तांतरण में नियम-37 के तहत राज्य सरकार की कोई पूर्व मंजूरी नही थी। हम गौर करते है कि न्यायालय ने श्रीराम कृष्ण माईनिंग कम्पनी (सुप्रा) में इस प्रकार अभिनिर्धारित किया है :- " नियम-37, जैसा कि उसकी भाषा से देखा जा सकता है कि यह साझेदारी के गठन से संबंधित नही है , जैसा कि हमारे समक्ष है, इसका मुख्य उदेश्य पटटे के हस्तांतरण के संबंध में प्रावधान है। इसकी प्रकृति एक सक्षम प्रावधान की है जो पटटे के हस्तांतरण को प्राधिकृत करता है , जो ऐसे व्यक्ति को किया जा सकता है जिसके पास संस्तुति का प्रमाण -पत्र हो और निर्देशित करता है कि अन्य शर्तो के अधीन ऐसे हस्तांतरण राज्य सरकार की अनुमति से किए जा सकते है , जिससे हमें कोई सरोकार नही है। एक वैधानिक प्रावधान , जिसमें किसी कार्य को करने हेतु स्पष्टतः निषेध होता है तथा दूसरा जो निर्धारित शर्तों के अधीन किए गए कार्य को सक्षम बनाता है , में अंतर होता है। पहले वाले मामलें में इस निष्कर्ष पर पहुँचने में कोई कठिनाई नही होगी कि इसके विषय में कुछ भी नही कहा जा सकता है कि इस कार्य को करने के लिए विधि का पूर्णतयाः निषेध था , दूसरे वाले मामलें में ऐसा नही कहा जा सकता है। अब , नियम-37 स्पष्ट रूप से किसी हस्तांतरण का निषेध नही करता है , बल्कि वह ऐसे हस्तांतरण को प्राधिकृत करता है जो निर्धारित शर्तो को पूरा करता हो और पूर्व में सरकार की अनुमति प्राप्त की गई है।"

24. नियम-37 का प्रावधान जैसा कि वर्ष 2009 में प्राप्त था, इस मामलें की नियति को नियंत्रित करेंगे। क्या यह भी तर्क नही दिया जा सकता , " स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत किए गए निर्णय नियम-37 के दायरो को समझने के लिए प्रासंगिक नही हो सकते। निषंदेह अपीलकर्ता का यह मामला है कि फर्म एएमसी का कई बार पुनर्गठन हुआ और किसी भी अवसर पर नियम - 37 का उल्लंघन का मुद्दा नही उठाया गया। अपीलकर्ता ने जो कुछ किया वह विभाग में चल रही प्रथा के अनुसार किया। अपीलकर्ता का यह मामला है कि नियम - 37 जैसा कि है , उसे न तो अतिरिक्त निदेशक ने और न ही एसडीए ने इंगित किया था।

25. यही पर फिर से यह आवश्यक हो जाता है कि हम खुद को द०प्र०स० की धारा -227 के तहत अधिकार क्षेत्र की रुपरेखा याद दिलाए। स्थापित सिद्धांत यह है कि अभियोजन की सामग्री , मौखिक बयान एवं दस्तावेज दोनों , बिना जिरह किए देखा जाय एवं सब कुछ अभियोजन के पक्ष में मान लिया जाय एवं ऐसा परिदृश्य उभरें कि अभियुक्त के विरुद्व आरोपित अपराध नही बनता है , निस्संदेह आरोपित के लिए लाभप्रद होगा कि विचारण न्यायाल उसे आरोप मुक्त कर दें।

26. अभियुक्त को उसके द्वारा प्रस्तुत की गई सामग्री बचाव के रूप में स्वीकार नही होगी कि वह न्यायालय को स्वयं को आरोप मुक्त करने हेतु राजी कर लें।

27. यद्यपि, " सामग्री जिसके आधार पर अदालत के मन में गंभीर संदेह पैदा होता है " का तात्पर्य कही नही समझाया गया है। क्या अभियुक्त उन्ही सामग्रियों को स्पष्ट कर सकता है जिसे अभियोजन ने प्रस्तुत किया है ? । क्या अभियुक्त उस सामग्री पर भरोसा कर सकता है कि जिसे वह इस स्तर पर प्रस्तुत करना चाहता है?

28. इस न्यायालय के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त केवल उन सामग्रियो पर भरोसा कर सकता है जिसे अभियोजन ने प्रस्तुत किया है , यह समझना चाहिए कि यदि उन सामग्रियो से गंभीर संदेह उत्पन्न होता हो तो उसे शब्दों में समझाया जाना चाहिए , यह उन सामग्रियो से उत्पन्न हुआ है जिसे अभियोजन ने प्रस्तुत किया है। इसमें कोई संदेह नही है राजी करने के लिए कह सकता है। कि वाद की व्यापक संभावनाओ के आधार पर न्यायालय को अपने को आरोप मुक्त करने हेतु राजी करने के लिए कह सकता है।

29. इस मामलें में जैसा कि पहले देखा जा चुका है कि , अपीलकर्ता के कार्यालय में काम करने वाले अधीनस्थों द्वारा दिए गए ब्यानो के अनुसार एएमसी के पूर्व भागीदारो से दिनांक 26.12.2009 को पत्र प्राप्त होने पर उनके दो अधीनस्थों सह -अतिरिक्त निदेशक ने मामलें में राय दिया था कि विधिक राय की आवश्यकता है। अपीलकर्ता द्वारा की गई नोटिंग, जो इस मामलें में निर्विवाध है, से परिलक्षित होता है कि उन्होनें उप निदेशक , (विधि) से वाकिफ है। अभियोजन का मामला काफी हद तक उप निदेशक, (विधि) के बयान पर निर्भर करता है जिन्होनें निश्चित रुख अपनाया है कि उनसे कोई राय नही ली गई। अभियोजन के अनुसार मामला जो कि नियमो के नियम-37 के तहत पूर्व अनुमति हेतु राज्य सरकार के पास जाना चाहिए था उसे अपीलकर्ता द्वारा खान निदेशक के रुप में निपटाया गया। इससे एमडीपी का मुददा पैदा हुआ। यह निस्संदेह सत्य है कि ऐसी कोई सामग्री मामलें में नही हो सकती जो अपीलार्थी को प्रथम अभियुक्त विशेषतः पंचम अभियुक्त एवं अन्य अभियुक्तों के कार्यों और चूँको से जोड़ सकें। हालांकि यह तथ्य वैसे ही रह जाते है , यदि अपीलकर्ता के बचाव पर ध्यान नही दिया जाय जिसमें यह शामिल है कि जब भी फर्म का पुनगर्ठन होता था पूर्व में अनुमति प्राप्त की जाती थी एवं यह भी अपीलार्थी के कथन से उन्होने वास्तव में उप निदेशक, (विधि) से बात की थी एवं उन्ही के सलाह से कार्य किया था एवं यह तथ्य तभी स्थापित होगा जब उप निदेशक , (विधि) का जिरह उनके समक्ष हो , ये ऐसे मामलें है जो अपीलार्थी को धारा-227 द०प्र०स० के तहत दिए गए आवेदन को प्रचालित करने के समय अनुपलब्ध थे।

30. यह हमारी चर्चा का परिणाम है , अपरिहार्य परिणाम यह है कि हम यह मानने के लिए तैयार नही है कि उच्च न्यायालय ने जो दृष्टिकोण अपनाया है उसमें कोई गलती है। फलस्वरुप , अपील विफल हो जाती है एवं इसे खारिज किया जाता है। हालांकि हम यह स्पष्ट करते है कि हमारे द्वारा की गई टिप्पणीया धारा-227 द०प्र०स० के तहत दिए गए आवेदन पर निर्णय लेने के उदेश्य से है ना कि न्यायालय को तंग करने के लिए।

अपील खारिज

मेरे द्वारा रूपांतरित किया गया।

विनय प्रकाश तिवारी
अपर जिला एवं सत्र न्या०-३ सह -
विशेष न्यायालय, एम०पी०एम०एल०ए०,
पटना।